of the open hearth technology. It has been set up in our country at a considerable cost. We have to take into account the totality of the factors and how much resources we have to pump into a technology change. It may be desirable. There may be higher efficiencies. But then you have to have the initial capital to make these changes quickly. So, one has to balance these various factors before one can introduce desirable technology changes. They may be desirable, but they may not be feasible in view of the resource constraints. Subject to that, I would agree that we must import latest technology into this country.

**विदेशों को मजदूर भेजने वाली कम्पनियों द्वारा धोखा दिए जाने का आरोप**

*206. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने 22 अक्तूबर, 1985 को उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि विदेशों में मजदूर भेजने वाली कतिपय कम्पनियां आर्थिक अपराध कर रही हैं और मजदूरों को धोखा दे रही हैं ; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैय्या) :** जी हां, । एक संसद सदस्य से तारीख 22.10.1985 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भर्ती एजेंटों के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं । इसमें कोई विशिष्ट शिकायत न होने के कारण, किसी भी भर्ती एजेन्ट के खिलाफ कार्यवाही करना संभव नहीं है ।

समय-समय पर प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर, 96 भर्ती एजेंटों के खिलाफ जांच पड़ताल की गयी, जिनमें से 14 एजेंटों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित किये गये । बाकी 82 मामलों में, जांच पड़ताल चल रही है । जांच पड़ताल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद, इन मामलों में भी समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** सभापति महोदय, मैं सरकार से प्रश्न पूछते हुए आप से इंसाफ चाहूंगा । अतारांकित प्रश्न संख्या 2878, दिनांक 23 अगस्त, 1985 को श्रम मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि 143 भरती करने वाली एजेंसियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही की जा रही है । आज यह कह रहे हैं कि 96 के खिलाफ कार्यवाही हो रही है । फिर इसी सत्र में प्रश्न संख्या 236, दिनांक 19 नवम्बर, 1985 को मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि पंजीकृत भर्ती एजेंसियों की कुल संख्या 54, विदेशी एजेंसियों की संख्या 47 और पंजीकृत एजेंसियों की संख्या 42 है, कुल 143 है । 143 कम्पनियों के नाम है श्रीमान, यह मेरे पास है । उनके उत्तर में 143 कम्पनियों के नाम है जिनके खिलाफ जांच की कार्यवाही की जा रही है । आज मंत्री महोदय कहते है कि शिकायतों के आधार पर 96 भर्ती एजेंसियों के खिलाफ जांच पड़ताल की गयी । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वह जो 143 कम्पनियां के बारे में नाम और पतों की सूचियों के साथ उत्तर दिया गया था तो मंत्री महोदय का वह उत्तर सही है या यह जो 96 कम्पनियों के बारे में जांच पड़ताल करने की बात यह कह रहे हैं, यह उत्तर जायज है ? अगर वह उत्तर जायज है, तो यह उत्तर गलत है और यह उत्तर जायज है तो वह उत्तर गलत है । इनमें से कोई तो उत्तर गलत है और इस गलत उत्तर लिये आप क्या करेंगे ?

**श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :** ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है, आपने बड़ी अच्छी सेवा की है कि लगातार इस विषय पर दो-तीन वर्ष से सवाल पूछ

रहे हैं । तीन पत्र भी आपने मुझे लिखे हैं । वैसे आपने पहले पत्र में लिखा है कि दर्जनों पत्र लिखे हैं, लेकिन तीन पत्र अवश्य आये हैं, उन पत्रों के उत्तर में जो मैंने बताया है वही मैंने अभी बताया है कि 143 एजेंसियां जो है, उनमें से 96 वे हैं, जो हिन्दुस्तान की हैं और 47 वे है, जो विदेश में हैं और इनकी इंक्वायरी के लिए हमने अपनी इंडियन एम्बेसी को, मिशन को लिख रखा है । क्योंकि विदेश में जो कम्पनियां हैं उनके बारे में जांच करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हम को कोई अधिकार नही है । आपने जो कहा कि इसका उत्तर आपने दिया 143 एजेंसियां ऐसी हैं, यह सही है । यह उत्तर हमने 19.11.85 को दिया था कि –

The list for cases of companies has been supplied to the Rajya Sabha. Out of these 143 companies, 45 are registered recruiting agencies, 47 are foreign agencies and others.

हमने उस वक्त यह नहीं कहा था कि 47 एजेंसियां विदेशी हैं इसलिए आपके सामने यह सन्देह थोड़ा सा बन गया ।

**श्री हुकमदेव नारायण यादव** : सभापति महोदय, पंजीकृत कम्पनियां जो भर्ती का काम कर रही हैं । ये 54 हैं लेकिन अंग्रेजीकृत की संख्या 42 हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या अपंजीकृत एजेंटों को भी भर्ती करने का काम सौंपा गया ? मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा मैं 1982 से इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि हमारे बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से और दूसरी जगहों से जो गरीब लोग रोजी रोटी के लिए इधर उधर घूमते हैं उनसे भर्ती करने वाले जो एजेंट हैं वे 5 हजार से 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और उनको विदेश में ले जाकर मरने के लिए छोड़ देते है । कोई रोजी रोजगार नही देते । मेरे रिश्तेदार के साथ भंडारी बिल्डर्स ने जब ऐसा किया और मामला प्रकाश में आया तब से मैंने यह लड़ाई लडनी शुरु की । सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नही की, बल्कि यह कहा कि ले-दे कर के मामले को खत्म कर दो और कम्पनी की जान छोड दो । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये जो भर्ती करने वाली एजेंसियां हैं, अपंजीकृत एजेंसियां हैं और जो पैसा लेती है उनके खिलाफ उच्च स्तरीय समिति बना कर जाच कराने का सरकार का कोई विचार है ?

**श्री चन्द्र लाल चन्द्राकर** : आपने ठीक ही कहा कि आपने केवल एक ही स्पेसिफिक केस दिया था और वह जो दिया था बाबू राम यादव के बारे में था । (व्यवधान) इसमें जात पात का सवाल नहीं है । जिसको जो जानकारी मिले वह देनी चाहिए । हमने इसकी जांच कराई इसमें कोई शक नहीं । बाबू राम यादव को यहां से सेलेक्ट करके विदेश में ले जाया गया और वहा उनका जो मेडिकल चैक अप हुआ उसमें वह अनफिट पाये गये और उनको वापस कर दिया गया । जो उन्होंने चार हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई थी वह भी वापस कर दी गई । उसके अलावा 13 सो रुपये आने जाने का खर्चा जो था वह भी वापस कर दिया गया । दूसरा कोई स्पेसिफिक केस अभी तक आया नहीं है । मैं आपकी भावना को समझता हूं । ऐसे बहुत से लेबर लोग है, गरीब लोग है जो किसी न किसी तरह से विदेश जाने के चक्कर में बहुत सा पैसा दे देते हैं । मैंने भी ऐसा सुना है जो आप कह रहे हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक केस आये और हम उसकी जांच कराएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए । अगर आप कोई स्पेसिफिक केस देगें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over